



अखिल कुमार सक्सेना

## बेरोजगारी की समस्या व निराकरण

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र अनुसन्धान विभाग, नेशनल पी.जी. कालेज, भोगाँव-मैनपुरी, (उ०प्र०) भारत

Received- 02 .12. 2021, Revised- 07 .12. 2021, Accepted - 11.12.2021 E-mail: aaryavrat2013@gmail-com

**सारांश:** भारत एक विकासशील किन्तु अल्प विकसित देश है। जैसा कि विकासशील देशों में विभिन्न समस्याएँ पायी जाती हैं और उनमें प्रमुख समस्या बेरोजगारी होती है, भारत भी इस समस्या से ग्रसित है। बेरोजगारी वह दशा है जिसमें किसी योग्य एवं समर्थ व कार्य करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अथक प्रयास करने पर भी कोई धनार्जन करने वाले रोजगार नहीं मिल पाता है। एक बेरोजगार व्यक्ति वह है जो धनार्जन करने की उत्कृष्ट लालसा रखते हुए भी किसी लाभकारी कार्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार "बेरोजगारी आयुधिक युग की सर्वाधिक गम्भीर सामाजिक समस्याओं में से एक है। यह सामाजिक विघटन की सहगामी है, इसलिए नहीं कि बेरोजगार और धनहीन होना महान संकट की बात है, जैसा कि निश्चित रूप से है भी, वरन् इसलिए कि बड़े पैमाने पर बेकारी यह व्यक्त करती है कि जनसंख्या और उद्योग के बीच सामंजस्य ठीक नहीं है।"

**कुंजीभूत शब्द—** विकसित, विकासशील, समाज का विघटन, बेरोजगारी, संगठन, अपराध, अपहरण, अपमान, अवहेलना।

बेरोजगारी वह घुन है, जो व्यक्ति समाज व राष्ट्र को भीतर ही भीतर शनैः शनैः खोखला कर देती है जिससे न केवल वैयक्तिक विघटन ही बढ़ता है, बल्कि पारिवारिक विघटन सामाजिक विघटन, सामुदायिक विघटन को भी बल प्राप्त होता है। बेरोजगारी एक ऐसी बुराई है जिसके कारण केवल उत्पादक मानव शक्ति ही नष्ट नहीं होती वरन् देश का भावी आर्थिक विकास भी अवरूद्ध हो जाता है। जो श्रमिक अपने कार्य द्वारा देश के आर्थिक विकास में सक्रिय सहयोग दे सकते हैं, वे कार्य के अभाव में बेरोजगार रह जाते हैं, यह स्थिति हमारे आर्थिक विकास में बाधक है। बेरोजगारी देश की आर्थिक स्थिति को डोँवाडोल कर देती है। इससे राष्ट्रीय आय में कमी आती है, उत्पादक घट जाता है और देश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। बेरोजगारी से क्रय शक्ति घट जाती है, जीवन स्तर गिर जाता है जिसका दुष्प्रभाव परिवार एवं बच्चों पर पड़ता है। शिक्षित युवकों की बेरोजगारी देश के लिए सर्वाधिक चिन्तनीय है क्योंकि ऐसे युवक तनाव और अवसाद से गुजरते हैं और उनकी आशाएँ टूट जाती हैं तथा वह गुमराह होकर उग्रवादी, आतंकवादी तक बन जाते हैं। पंजाब, कश्मीर और आसाम के आतंकवादी संगठनों में कार्यरत उग्रवादियों में अधिकांश इसी प्रकार के शिक्षित बेरोजगार युवक हैं। चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध वृत्ति एवं आत्महत्या आदि समस्याओं के मूल में एक बड़ी सीमा तक बेरोजगार ही विद्यमान हैं। लेस कोहिर ने लिखा है, "बेरोजगारी से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क विकृत हो जाता है, महत्वाकांक्षाएँ दुर्बल हो जाती हैं, व्यक्ति में सुस्ती बढ़ जाती है, आत्म गौरव व उत्तरदायित्व की भावना की कमी के कारण उसकी कार्य क्षमता घट जाती है।"

कार्ल प्रिब्राम के अनुसार, "बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम-शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है।" डा० राम आहूजा ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बेरोजगारी की स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि, "यह सामान्य कार्यबल (Working Force) के एक सदस्य (यानी 15-59 आयु वर्ग का) को सामान्य काल (Working time) में सामान्य वेतन पर और सामान्य परिस्थितियों में जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध वैतनिक कार्य से अलग रखना है।"

इस प्रकार विश्लेषण करने पर बेरोजगारी की कुछ विशेषताओं का पता चलता है, जो इस प्रकार है—

- 1- कार्य करने की योग्यता व समर्थता।
- 2- कार्य करने की इच्छा।
- 3- कार्य खोजन के सन्दर्भ में सतत् प्रयत्नशील
- 4- अर्थार्जन करने का उद्देश्य
- 5- योग्यतानुसार पूर्ण रोजगार का अभाव

भारत में बेरोजगारी का स्वरूप औद्योगिक दृष्टि से उन्नति देशों की अपेक्षा भिन्न है। भारत में 1929 की घोर मन्दी के फलस्वरूप बेरोजगारी उत्पन्न हुई, जिससे देश में भारी विपत्ति आई। इसी प्रकार दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात् जन युद्धकालीन उद्योग बन्द कर दिये गये, तो इससे सेना में छंटनी, अस्त्र-शस्त्र के कारखानों में कम उत्पादन आदि के कारण काफी हद तक संघर्ष बेरोजगारी पैदा हो गयी। इन श्रमिकों को शान्तिकालीन उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराना था। इसी प्रकार 1950 के पश्चात् आरम्भ की गई सुव्यवस्थीकरण (Rationalisation) की प्रक्रिया के कारण भी कुछ श्रम का प्रतिस्थापन



किया गया। 26- जिससे बेरोजगारी उत्पन्न हुई। कीन्स (Keynes) ने 'बचत की इच्छा' (desire for saving) को बेरोजगारी का कारण बताया है। व्यक्ति निवेश कम करते हैं क्योंकि वे ज्यादा बचाना चाहते हैं। कम निवेश से उत्पादन कम होता है, जो बेरोजगारी का कारण बनता है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने मांग और आपूर्ति में असंतुलन को बेरोजगारी का कारण बतलाया है।

भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है- तेजी से बढ़ती जनसंख्या। पिछले चार दशकों में देश की जनसंख्या लगभग तीन गुनी हो गई है। सन् 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत की आबादी एक अरब को पार कर गयी है। यद्यपि सरकार ने विभिन्न योजनाओं के द्वारा रोजगार के अनेक नये अवसर सुलभ कराए हैं। लेकिन जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हुई है उस अनुपात में रोजगार के अवसर सुलभ करा पाना संभव नहीं हो सका। परिणामतः बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है और प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में बेरोजगारों की वृद्धि हो रही है।

हमारी शिक्षा पद्धति भी दोषपूर्ण है, क्योंकि यह रोजगार परक नहीं है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से लाखों स्नातक एवं परास्नातक प्रतिवर्ष निकलते हैं, किन्तु उनमें से कुछ ही रोजगार पाने का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति ने उद्योगों का मशीनीकरण कर दिया है। परिणामतः आदमी के स्थान पर मशीन से काम लिया जाने लगा है। एक मशीन सैकड़ों श्रमिकों का काम अकेले ही कर देती है, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में बेरोजगारी पनपी है। साथ लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों की खस्ता हालत ने भी बेरोजगारी में वृद्धि हमारे देश में अशिक्षित एवं अप्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ की श्रम शक्ति का सदुपयोग नहीं हो पाता है।

विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या, विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या से भिन्न होती है। विकसित देशों में प्रायः दो प्रकार की बेरोजगारी पायी जाती है।

क- अनैच्छिक बेरोजगारी (Involuntary unemployment)

ख- घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional unemployment)

जो लोग मजदूरी की प्रचलित दर पर काम करने के लिए इच्छुक होने पर काम करने के लिए इच्छुक होने पर भी रोजगार पाने में असफल रहते हैं, उन्हें अनैच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। उत्पादन की तकनीकों में तेजी के साथ परिवर्तन घर्षणात्मक बेरोजगारी को जन्म देता है।

विकासशील देशों में अधिकांश बेरोजगारी ढाँचागत (Structural) होती है। इन देशों में कृषि के पिछड़ेपन, उद्योगों के अल्प विकास और सेवा क्षेत्र के छोटे आकार के कारण श्रम की मांग कम और रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। अतः भारी संख्या में लोग मजदूरी की प्रचलित दरों से कम दरों पर भी काम करने के लिए इच्छुक होने के बावजूद बेरोजगार होते हैं। बेरोजगारी प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न दोनों प्रकार की होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था 50 वर्षों तक आर्थिक आयोजन के बावजूद आज भी अल्पविकसित है और यहाँ की अधिकांश प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न बेरोजगारी ढाँचागत की है। भारत में बेरोजगारी के स्वरूप को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है-

भारत में बेरोजगारी, नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, प्रत्यक्ष बेरोजगारी

बेरोजगारी की समस्या पर बहुत विश्वसनीय आँकड़ें नहीं मिलते हैं। बेरोजगारी पर विशेषज्ञों की समिति (1973), जिसके अध्यक्ष श्री बी0 भगवती थे, में दिये गये आँकड़ों के अनुसार सन् 1971 में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 187 लाख आंकी गयी थी। रोजगार नीति के बारे में छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) ने साफ तौर पर स्वीकार किया है- "रोजगार के क्षेत्र में स्थिति बहुत ही असंतोषजनक है।" नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कहा गया है कि तेजगति से बढ़ती हुई श्रमशक्ति के लिए 1997-2002 की अवधि में 5.2 करोड़ रोजगार के अवसर, 2002-2007 के दौरान 5.8 करोड़ और 2007-12 के दौरान 5.5 करोड़। इतने बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कैसे हों? इसके सुझाव के लिए विशेष कार्यदल नियुक्ति किये गये। रोजगार अवसरों पर नियुक्ति कार्यदल (Task Force) जिसके अध्यक्ष डॉ0 मॉटेक सिंह आहलूवालिया थे, ने अपनी रिपोर्ट 1 जुलाई 2001 को योजना आयोग को सौंप दी। इस रिपोर्ट की अर्थशास्त्रियों, नीति-निर्धारकों व मजदूर संघ नेताओं द्वारा कड़ी आलोचना की गयी। कार्यदल के मुख्य सुझावे थे।

- कृषि में निजी क्षेत्र के विनियोग को बढ़ावा देना।
- समन्वित कृषि कामप्लेक्सों (Agricultural Complexes) और फूड पार्को (Food parks) के विकास के लिए निगम क्षेत्र का प्रयोग करना।
- पतित एवं व्यर्थ भूमियों के विकास के लिए कृषि कम्पनियों को ठेके देना।



- खाद्य संसाधन उद्योगों (Food processing) के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों का सहारा लेना।
- निर्माण, फुटकर व्यापार, सड़क परिवहन आदि में बड़ी फर्मों का प्रयोग करना।

इस रिपोर्ट का सार यह था कि रोजगार जनन की पूरी जिम्मेदारी निगम क्षेत्र को सौंप दी जानी चाहिये। विशेषज्ञों की राय में इस दल को अधिकतर सिफारिशें रोजगार को सीमित करने वाली हैं, न कि रोजगार का विस्तार करने वाली। इस नीति द्वारा प्रधानमंत्री का 1 करोड़ रोजगार का विस्तार करने वाली। इस नीति द्वारा प्रधानमंत्री का 1 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष कायम करने का लक्ष्य प्राप्त करना लगभग असंभव है। योजना आयोग ने औपचारिक रूप में इस कार्यदल की रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया, परन्तु इसे चुपचाप दफना दिया और 5 सितम्बर, 2001 को जी0एस0पी0 गुप्ता, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक विशेष दल गठित कर दिया, जिसको 1 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष कायम करने के लक्ष्य हेतु सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया। इस विशेष दल ने अपनी रिपोर्ट में यह चेतावनी दी है कि यदि शहरी क्षेत्रों में नगर प्रशासन और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें राज्य के साथ मिलकर बेरोजगारी को कम करने का प्रयास नहीं करतीं, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 400 लाख हो जायेगी या श्रम शक्ति का लगभग 10 प्रतिशत यह परिस्थिति अत्यन्त निराशाजनक होगी। योजना के मध्य अवधि मूल्यांकन में इस बात को दोहराया गया है कि रोजगार वृद्धि श्रमिक बल की वृद्धि से अधिक होनी चाहिये, जिससे बेरोजगारी को कम किया जा सके।

आज अधिकांश युवा रोजगार के अभाव में इतने कुण्ठित और निराशावादी हो चले हैं कि उनका सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से विश्वास उठने लगा है। आपरेशन रिसर्च ग्रुप (O.R.G.) के द्वारा युवा अनुभूति (Youth perception) पर देश के 38 नगरों में 2100 युवाओं के एक प्रतिदर्श पर अप्रैल 1988 में एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के अनुसार युवाओं ने रोजगार के अवसरों में कमी होने पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। (दि हिन्दुस्तान टाइम्स 15 मई, 1988)। 62 प्रतिशत से अधिक सूचनादाताओं ने कहा कि रोजगार की स्थिति और बिगड़ गई है। लगभग 52.2 प्रतिशत को पूर्ण विश्वास था कि भारत उन्नति और विकास के लिए सही मार्ग पर नहीं चल रहा है। सर्वेक्षण में सरकार की नई शिक्षा नीति के प्रति भी मिश्रित प्रतिक्रिया प्रकट हुई। 37 प्रतिशत से कुछ कम सूचनादाताओं के अनुसार यह शिक्षा नीति देश के लिए अच्छी और आवश्यक थी। इसके विपरीत 27 प्रतिशत सूचनादाताओं ने जोर देकर कहा कि इस नीति के कोई परिणाम नहीं निकलेंगे। इस प्रकार जब देश के युवाओं में अधिकांश न केवल अपने भविष्य और सुरक्षा के बारे में, अपितु देश के आर्थिक भविष्य और सामाजिक प्रगति के बारे में निराशावादी हैं, तो क्या स्वरोजगार आवश्यक नहीं है? पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2001 को अपने स्वतन्त्रता दिवस सन्देश में साफ शब्दों में उल्लेख किया, "उदारीकरण के फल गरीबों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों तक पर्याप्त रूप में पहुँच नहीं पाये हैं। असमानताओं में वृद्धि हुई है।" सरकार को गरीबी निवारण जैसे कार्यक्रमों पर भारी व्यय करने की अपेक्षा ग्राम आधार संरचना जैसे छोटी सिंचाई, वाटर शैड, विकास पर अधिक साधन खर्च करें, जिससे कृषि उत्पादकता उन्नत हो और रोजगार का विस्तार हो। भारत को पहले 'सभी को रोजगार' उपलब्ध कराना है और संक्रान्ति से गुजर रहे समाज के रूप में इसे अपने अन्तिम लक्ष्य 'सभी के लिए अच्छा रोजगार' की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिये।

गुलामी के बाद जब भारत ने सन् 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति की, उसी समय से 'सामाजिक न्याय के साथ तीव्र विकास' की महत्वाकांक्षी अभिलाषा लेकर देश के सभी नागरिकों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़े और वंचित वर्गों को प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली और खाद्य सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त इन वर्गों में व्याप्त गरीबी और बेरोजगारी से नागरिकों को निजात दिलाने हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुरूपविभिन्न नामों से अनेक योजनाओं का अध्ययन किया जाता रहा है।

किसी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए मानव संसाधन यानि मनुष्य जरूरी है और मनुष्य के अस्तित्व के लिए जरूरी है- भोजन, वस्त्र तथा आवास। जिसे सामान्य बोल-चाल की भाषा में रोटी, कपड़ा और मकान कहा जाता है। अपनी इन बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए मनुष्य को जरूरत पड़ती है- रोजगार की। रोजगार मनुष्य ही नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था की भी प्राणधारा है। क्योंकि एक तो मनुष्य स्वयं एक सामाजिक प्राणी है, उसी का समूह ही समाज की संज्ञा से नामित है और समाज की हर गतिविधि रोजगार से अर्जित धनागम पर टिकी है। यही वजह है कि सामाजिक व्यवस्था का अंग-प्रत्यंग रोजगार से प्रमाणित है और हर मनुष्य रोजगार से उन्मुख। अब यह अलग बात है कि समाज में कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध है लेकिन उन्मुखता और चाह हर व्यक्ति की रोजगार के प्रति है। रोजगार हीनता की स्थिति में किसी भी अनुकम्पा से जीवन-यापन तो चाहे बेषक कर लिया जाये, किन्तु आत्म विश्वास की दरकन रूपी खिड़की से झाँकती आत्मच्युति और



आत्महीनता भी तब स्वाभाविक दुष्परिणाम के रूप में सामने दिखायी देगी। रोजगार हीन व्यक्ति अपने मनुष्य होने की गरिमा को ही खो देता है, इसलिए उससे जो भी राष्ट्र बनता है, वह भी बीमार होता है। किसी राष्ट्र के स्वास्थ्य का थर्मामीटर यह है कि कितनी संख्या में उसके नागरिक रोजगारपुदा हैं। इस समय देश में करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हैं। रोजगार की दृष्टि से हमारा देश चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। इस भयावह स्थिति से निपटने का एकमात्र रास्ता स्वरोजगार ही दिखाई देता है। प्रधानमंत्री श्री पी0वी0 नरसिम्हाराव द्वारा स्वतन्त्रता दिवस 1993 के अवसर पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना की घोषणा की थी। इस योजना का व्यापक क्रियान्वयन 2 अक्टूबर, 1993 से जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से हुआ। उत्तर प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन की नोडल संस्था उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश है। वर्ष 1993-94 के दौरान यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में लागू थी तथा 1 अप्रैल, 1994 से इसे शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है। 1 अप्रैल, 1994 से शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार की योजना को भी इस योजना में ही एकीकृत कर दिया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत लगभग 20 लाख युनिटें स्थापित की जा चुकी हैं। जिससे 30.4 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार योजना के अन्तर्गत 16.50 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना चूंकि जिला उद्योग केन्द्र उद्योगों सम्बन्धी विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान कर, बैंकों के माध्यम से समुचित ऋण एवं अनुदान उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे बेरोजगारों के स्वरोजगार स्थापित करने में मदद मिल रही है। 'प्रधानमंत्री रोजगार योजना' के क्रियान्वयन से रोजगार की दशाओं पर जो अनुकूल तथा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, उस योजना से लाभ ले रहे लाभार्थियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है? के मूल्यांकन हेतु शोधार्थी को जिज्ञाशा हुई तत्पश्चात् शोधार्थी ने "प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लाभान्वितों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" को अपने शोध का विषय बनाने का निश्चय किया है।

**प्रधानमंत्री रोजगार योजना का विवरण-** मानव संसाधन की दृष्टि से भारत विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। देश में प्राकृतिक संसाधनों की अच्छी उपलब्धता है। परन्तु प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद हमारा देश अभी तक विकसित देशों के वर्ग में अभी तक स्थान नहीं पा सका है। इसका एक प्रमुख कारण है- युवा वर्ग में स्वरोजगार के प्रति पर्याप्त आकर्षण का अभाव एवं नौकरी के पीछे भागना। जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती है, वे प्रायः कुण्ठा एवं निराशा से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिये उन्हें रचनात्मक शक्ति का लाभ नहीं मिल पाता है।

वर्तमान में सीमित साधनों एवं जनाधिक्य को देखते हुए यह सत्य प्रतीत होता है कि सरकारी नौकरी के विकल्प के रूप में स्वरोजगार को ही चुनना होगा। देश के समुचित विकास के लिए यह अपरिहार्य है कि तमाम युवा वर्ग नौकरी के पीछे न जाकर स्वरोजगार के प्रति आकर्षित हों। जिसमें मेहनत और प्रतिभा का प्रतिफल स्वयं को ही मिलने के कारण वे पूर्ण मेहनत व प्रतिभा का उपयोग करके स्वयं कमी अधिकतम उन्नति के साथ-साथ देश के विकास में भी सहायक बने।

स्वतः रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना को 2 अक्टूबर, 1993 से लागू किया है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों के लिए उद्योग, सेवा अथवा व्यवसाय के माध्यम से स्वतः रोजगार स्थापित करने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना द्वारा शिक्षित, लायक, साधनहीन नवयुवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, आर्थिक साधन, प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान किया जाता है। लाभार्थियों का चयन व्यापक प्रचार-प्रसार के पश्चात् आवेदन पत्र प्राप्त कर साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है। चयनित लाभार्थियों हेतु बैंक ऋण के साथ-साथ अनुदान एवं अनिवार्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। एक लाख तक की लागत की परियोजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत शामिल की जाती है। तथा अन्य गतिविधियों के लिए दो लाख रुपये तक एवं दो या दो से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए 10 लाख रु0 तक का ऋण दिया जाता है। इसके तहत कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, जो कि अधिकतम 15,000 रुपये होता है, सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। परियोजना लागत का कम से कम 5 प्रतिशत उद्यमी को अपने मार्जिन मनी के रूप में नकद (कैश) में लगाना आवश्यक है। शेष 95 प्रतिशत तक बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। 24 दिसम्बर 1998 से सरकारी निर्णय के अनुसार 5 प्रतिशत मार्जिन मनी के मामले में बैंकों को यह छूट दी गई है कि परियोजना लागत के 5 से 16.25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी ले सकेंगे। एक लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए किसी जमानत गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है। उद्यमी द्वारा लगायी गयी स्वयं की धनराशि एवं बैंक ऋण से अर्जित सम्पत्ति ही बैंक के पास जमानत के रूप में दृष्टिबंधित रहती है। इस ऋण पर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य व्याज दरों पर व्याज लगता है। इस ऋण की वापसी 3 से 7 वर्षों के अन्तर्गत करनी होती है। इसमें परियोजना के अनुरूप प्रारम्भ में 6 से 18 माह तक ऋण वापसी स्थगन का भी प्रावधान है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ी जाति के लिए 27 प्रतिशत



का आरक्षण किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत निम्न व्यावसायिक बैंकों से उद्यमियों को ऋण उपलब्ध हो सकता है- 1- इलाहाबाद बैंक, 2- आन्ध्रा बैंक, 3- बैंक ऑफ इण्डिया, 4- बैंक ऑफ बड़ौदा, 5- स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, 6- फेडरल बैंक, 7- इण्डियन ओवरसीज बैंक, 8- इण्डियन बैंक, 9- नैनीताल बैंक लिमिटेड, 10- ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, 11- कारपोरेशन बैंक, 12- कॅनरा बैंक, 13- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, 14- देना बैंक, 15- बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड, 16- बैंक ऑफ मदुराई, 17- बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 18- बरेली कारपोरेशन बैंक लिमिटेड, 19- बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड, 20- पंजाब नेशनल बैंक, 21- पंजाब एण्ड सिंध बैंक, 22- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, 23- सिण्डीकेट बैंक, 24- स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, 25- स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर, 26- स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, 27- स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर, 28- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, 29- यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, 30- यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, 31- यूको बैंक, 32- विजया बैंक।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, प्रो० श्यामधर, डॉ० मीरा सिंह: सामाजिक समस्याओं का समाजशास्त्र प्रथम संस्करण 2003.
2. गुप्ता, प्रो० एम०एल०, डॉ० डी०डी० शर्मा: सामाजिक विघटन- 1999.
3. श्रीवास्तव, ए०एन०आर०: भारतीय सामाजिक समस्यायें प्रथम संस्करण 2001-2002.
4. आहूजा, राम: सामाजिक समस्यायें- द्वितीय संस्करण 2004.
5. दत्त, रुद्र एवं के०पी० एम० सुन्दरम्: भारतीय अर्थ व्यवस्था चालीसवों संस्करण-2005.
6. प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रशिक्षण पुस्तिका।
7. कपिल, एच०ए०-व्यवहारिक विज्ञानों में अनुसन्धान विधियाँ, हरप्रसाद भार्गव एण्ड सन्स, आगरा-1984.
8. सिंह, एस०डी०: वैज्ञानिक सामाजिक अनुसन्धान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्त्व कमल प्रकाशन इन्दौर मध्य प्रदेश 1961.

\*\*\*\*\*